



संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ।  
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences,

RAEBARELI ROAD  
Lucknow-226014 (INDIA)  
Phones: 0522-2668004-8, 2668700-800-900  
Fax : 91-0522-2668017, 2668078  
Web site : WWW.sgpgi.ac.in.

पत्रांक: पी0जी0आई0/निदे0/विद्युत अभि0/ 291/2015  
पत्रावली आर0एस0डी0 संख्या: 11029/1/

दिनांक: 04.08.2015

कार्यालय आदेश

संस्थान परिसर के विभिन्न श्रेणी के आवासों में पूर्व से लागू विद्युत शुल्क के अतिरिक्त आवंटियों के निजी ए0सी0 द्वारा उपभोग की जा रही विद्युत ऊर्जा के व्यय की वसूली के संबंध में संस्थान द्वारा नामित समिति के निर्णय के उपरान्त आवंटियों से निम्नानुसार वसूली किया जाना है:


क्र0सं0	आवास की श्रेणी	लागू विद्युत दरें (लाईट और फैन) हेतु	ए0सी0 हेतु निर्धारित विद्युत दरें
1.	टाईप-1	रु0310.00	रु02500.00
2.	टाईप-2	रु0597.00	रु02500.00
3.	टाईप-2-ए	रु0597.00	रु02500.00
4.	टाईप-3	रु0756.00	रु02500.00
5.	टाईप-4	रु01278.00	रु05000.00
6.	टाईप-5-ए	रु01757.00	रु05000.00
7.	टाईप-5-बी	रु01757.00	रु05000.00
8.	टाईप-5 न्यू कैम्पस	रु.1757.00	रु05000.00
9.	टाईप-6	रु02108.00	रु05000.00
10.	नर्सिंग हास्टल	रु0310.00	रु02500.00
11.	अविवाहित पी0जी0 हास्टल	रु0310.00	रु02500.00
12.	विवाहित हास्टल	रु0597.00	रु02500.00
13.	एम0आर0ए0-ए टाईप-2	रु0597.00	रु02500.00
14.	एम0आर0ए0-बी टाईप-3	रु0756.00	रु02500.00

- उपरोक्तानुसार निजी ए0सी0 हेतु निर्धारित ऊर्जा के व्यय की दरें तत्काल प्रभाव से एवं आगामी प्रत्येक वर्ष के माह अप्रैल से सितम्बर तक छः माह की अवधि में वित्त विभाग द्वारा आवंटियों के वेतन से प्रतिमाह वसूल की जायेगी।
- संस्थान परिसर के उपरोक्त आवासों के किसी आवंटी द्वारा यदि ए0सी0 नहीं लगाया गया है तो आवंटी की लिखित सूचना पर वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त निर्धारित वसूली से आवंटी को तत्काल छूट प्रदान की जायेगी। तदुपरान्त संस्थान के सम्पत्ति विभाग द्वारा उस आवास का निरीक्षण किया जायेगा और यदि निरीक्षण में संबंधित आवंटी के आवास में ए0सी0 लगा पाया गया तो आवंटी पर लागू वित्तीय वर्ष के छः महीने हेतु निर्धारित ए0सी0 की देयता के दो गुनी धनराशि का जुर्माना वसूल किया जायेगा।

(प्र0 राकेश कपूर)  
निदेशक

प्रतिलिपि:-

- अपर निदेशक।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
- चिकित्सा अधीक्षक।
- वित्त अधिकारी।
- इक्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार।
- संयुक्त निदेशक(प्रशा0)
- सम्पत्ति अधिकारी।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी(वेतन)।
- अधिशासी अभियन्ता(वि0)।
- प्रवोस्ट, वार्डन, और नोडल अधिकारी।
- विभागाध्यक्ष, बायोस्टेटीक्स एवं इन्फार्मेटिक्स को संस्थान की वेब साईट में अपलोड करने के लिए।
- नोटिस बोर्ड, प्रशासनिक भवन और मुख्य अस्पताल।



MR. RAVINDRA AGARWAL

07 SEP 2015

(प्र0 राकेश कपूर)  
निदेशक